तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए/7214/2006/सवाईमाधोपुर रामकरण बनाम मूल्या	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री वी.पी. सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 06.08.2018

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर, बोली द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–10–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी ने वादीगण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बाबत् बही पर प्रदर्श न डालने दिनांक 12–10–2006 को खारिज किया है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा पस्तुत राजस्व वाद में अप्रार्थीगण द्वारा दौरान साक्ष्य प्रतिवादी दस्तावेज बही को प्रदर्श करने की इश्तदुआ की एवं उक्त बाबत् प्रार्थीगण द्वारा आपत्ति प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त बही व अन्य प्रस्तुत दस्तावेजात अनरजिस्टर्ड अनस्टाम्प दस्तावेज है, जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है एव ना ही उक्त दस्तावेजात पर प्रदर्श

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए/7214/2006/सवाईमाधोपुर रामकरण बनाम मूल्या	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मार्क अंकित किया जा सकता है। उनका कथन है कि माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त 2000 आरएलडब्ल्यू I पेज 81 के अनुसार साक्ष्य अधिनियम धारा 34 – खाता बही की प्रविष्टियां – निजी खाता बही की ऐसी प्रविष्टियां साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बही किसी भी रूप में साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होकर प्रदर्श डालने योग्य नहीं थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त के विपरीत अन रजिस्टर्ड बही पर प्रदर्श नहीं डालने के प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र को खारिज करने में तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय को निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीगण की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बाबत् प्रदर्श नहीं डालने को स्वीकार किया जावे। इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–08–2002 से दस्तावेजात को महत्वपूर्ण दस्तावेज होना मानते हुए 500/–रूपये के हर्जाने पर रिकार्ड पर लिया गया था। उनका कथन है कि प्रार्थीगण वादीगण द्वारा प्रस्तुत बही को रिकार्ड पर नहीं लेने की आपत्ति को आदेश दिनांक 11–03–2003 से खारिज कर दिया। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मत् आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए/7214/2006/सवाईमाधोपुर रामकरण बनाम मूल्या	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पारित निर्णयों का अवलोकन किया। पत्रावली एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण प्रार्थीगण ने विवादित आराजी बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद के साक्ष्य प्रतिवादीगण के स्तर पर लम्बित रहते प्रार्थीगण वादीगण की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र बाबत् बही पर प्रदर्श न डालने दिनांक 12–10–2006 को प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र पर उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर निगराधीन निर्णय से प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा निगरानी मीमों में उल्लेखित माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त 2000 आरएलडब्ल्यू I पेज 81 का उद्धहरण प्रस्तुत कर कथन किया कि साक्ष्य अधिनियम धारा 34 – खाता बही की प्रविष्टियां – निजी खाता बही की ऐसी प्रविष्टियां साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में बही में लिखे गये विक्रय विलेख पर प्रदर्श नहीं डालने की आपत्ति के प्रार्थनापत्र को खारिज किया गया है। माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा उद्धरित उक्त न्यायिक दृष्टान्त में बही के लिखे गये उद्धरण को साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं माना है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बही किसी भी रूप में साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होकर प्रदर्श डालने योग्य नहीं थी किन्तु	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए/7214/2006/सवाईमाधोपुर रामकरण बनाम मूल्या	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त के विपरीत अन रजिस्टर्ड बही पर प्रदर्श नहीं डालने के प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र को खारिज करने में तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की है। इसके अतिरिक्त भी विभिन्न माननीय न्यायालय द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में अनरजिस्टर्ड दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन आदेश दिनांक 12-10-2006 निरस्त किया जाता है तथा प्रार्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बाबत् दस्तावेज बही में प्रदर्श नहीं डालने को स्वीकार किया जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	